


7



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-छतरपुर

मुन्नालाल तनय मोतीलाल अहिरवार

निवासी- मऊ (सहानिया) तहसील नौगांव

जिल्ला - छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- अनावेदक

*Handwritten notes and signatures:*  
18/7/18  
18/7/18  
9-8-18  
18-7-18

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1 यहकि, तहसीलदार नौगांव द्वारा आवेदक के विरुद्ध प्रकरण संस्थित कर कारण बताओ सूचना पत्र इस आशय का दिया। कि पटवारी हल्का मऊ ग्राम मऊ की शासकीय भूमि खसरा नं. 2655 रकवा 51.448 है0 के अंश भाग 50×50 पर (मकान) दीवाल बनाकर अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमित भूमि शासकीय अभिलेख में म.प्र. शासन (पहाड़) दर्ज है। तहसीलदार द्वारा दिये गये उक्त सूचना पत्र का आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि उसके द्वारा अपनी पैत्रिक भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा है, उपरोक्त भूमि उसकी पुस्तैनी भूमि है, जिसपर दीवाल बनायी जा रही है। उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई स्थल जांच नहीं की गयी है, और ना ही सीमांकन किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदक की पैत्रिक भूमि को अतिक्रमित भूमि नहीं माना जा सकता। आवेदक के उपरोक्त जबाव पर विधिवत् जबाव किये बिना तहसीलदार तहसील नौगांव द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.10.2017 से यह आदेश पारित किया कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 248 (1) के तहत कार्यवाही करते हुये मुन्नालाल पुत्र मोतीलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4638/2018/छतरपुर/भू.रा.

मुन्नालाल विरुद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक मुन्नालाल की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 42/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-06-2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है ।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"</p>	

16.10.18

2

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है। अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

*hpr*  
(आर.के. जैन) 16.10.18  
सदस्य